

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 43 / 2021 तारीख दायर 17.8.21 दिनांक निर्णय 27.8.21

उनवान

2021
81

रिपोर्ट पटवारी एनका फिरोजपुर बनाम रुक्मी राम जी कानाराम
कौम मीना नि. बावडी

आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप. बन्धु जवाब पेश किया नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206-2-078 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल रुक्मी राम पुत्र कानाराम
जाति मीना निवासी बावडी को
आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.15 किस्म चारशर वाके ग्राम बावडी
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 0.90 की 30 गुणा में मु.
4500 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

तहसीलदार

राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 14 पृष्ठ चा. पं. 45/-
राशि कायम किये गये। जे. ति. 750/-

त. रा. खेखाकार